उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-3

संख्या- 111/2025/23-3-2025-25(ईएस)/2021-1615211

लखनऊ, दिनांक: 17 नवम्बर, 2025

अधिसूचना संख्या- 1424/23-3-2025-25(ईएस)/2021-1615211 दिनांक: 17 नवम्बर, 2025 के द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अभियंता सेवा (लोक निर्माण विभाग) (उच्चतर) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2025 (हिन्दी/अंग्रेजी रूपान्तरण सहित) की प्रतिलिपि संलग्न का निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।।
5. प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष/प्रमुख अभियंता (ग्रामीण सड़क)/प्रमुख अभियंता (परिकल्प नियोजन), लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
7. वेब निदेशक/वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
8. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह,

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश सरकार

लोक निर्माण अनुभाग-3

संख्याः 1424/23-3-2025-25(ई0एस0)/2021-1615211

लखनऊ, दिनांकः 17 नवम्बर, 2025

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश अभियन्ता सेवा (लोक निर्माण विभाग) (उच्चतर) नियमावली, 1990 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं:-

उत्तर प्रदेश अभियन्ता सेवा (लोक निर्माण विभाग) (उच्चतर) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अभियन्ता सेवा (लोक निर्माण विभाग) (उच्चतर) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2025 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम-4 का प्रतिस्थापन 2- उत्तर प्रदेश अभियन्ता सेवा (लोक निर्माण विभाग) (उच्चतर) नियमावली, 1990, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम-4 में, नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

	विद्यमान नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
सेवा का संवर्ग	**<u>स्तम्भ - एक</u>**	**<u>स्तम्भ - दो</u>**
	विद्यमान उप नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम**
	(2) जब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाये, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी है:-	(2) जब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाये, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी है:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पद का नाम	स्थायी	अस्थायी	प्रतिनियु-क्ति के लिए आरक्षित	पद का नाम	स्थायी	अस्थायी	प्रतिनियुक्ति के लिए आरक्षित
(एक) अधिशासी अभियंता (सिविल)	222	104	40	(एक) अधिशासी अभियंता (सिविल)	222	104	40
(दो)अधिशासी अभियंता विद्युत और (यांत्रिक)	21	06	01	(दो) अधिशासी अभियंता (विद्युत और यांत्रिक)	21	06	01
(तीन) अधीक्षण अभियंता (सिविल)	49	22	14	(तीन) अधीक्षण अभियंता (सिविल)	49	22	14
(चार) अधीक्षण अभियंता (विद्युत और (यांत्रिक)	04	_	_	**(चार) अधीक्षण अभियंता (विद्युत और यांत्रिक)**	**04**	**04**	**02**
(पांच) मुख्य अभियंता स्तर-दो (सिविल)	07	15	07	(पांच) मुख्य अभियंता स्तर-दो (सिविल)	07	21	07
(छः) मुख्य अभियंता स्तर-दो (विद्युत/यांत्रिक)	_	01	_	**(छः) मुख्य अभियंता, स्तर-दो**	**_**	**03**	**02**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

				(विद्युत और यांत्रिक)			
(सात) मुख्य अभियंता स्तर-एक (सिविल)	_	03	_	(सात) मुख्य अभियंता स्तर-एक (सिविल)	_	03	_
(आठ) प्रमुख अभियंता	01	02	_	**(आठ) मुख्य अभियंता स्तर-एक (विद्युत और यांत्रिक)**	**_**	**01**	**_**
				(नौ)प्रमुख अभियंता	01	02	_

परन्तु, (क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उन्हें आस्थगित रख सकते है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, (ख) राज्यपाल ऐसे स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।	परन्तु, (क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उन्हें आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न हो। (ख) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।

नियम-5 का संशोधन

3- उक्त नियमावली में, नियम-5 में, नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान उप-नियम (चार) के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	स्तम्भ-एक विद्यमान उप नियम	स्तम्भ-दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
भर्ती का स्रोत	(चार) मुख्य अभियन्ता स्तर-एक (सिविल)-मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियन्ता स्तर-दो (सिविल) में से प्रोन्नति द्वारा।	(चार) (क) मुख्य अभियन्ता स्तर-एक (सिविल)-मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियन्ता स्तर-दो (सिविल) में से प्रोन्नति द्वारा; **(ख) मुख्य अभियन्ता स्तर-एक (विद्युत और यांत्रिक)- मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियन्ता स्तर-दो (विद्युत और यांत्रिक) में से प्रोन्नति द्वारा;**

नियम-8 का संशोधन 4- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान उप नियम (1) और (2) के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिये गये उप नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात:-

	स्तम्भ - एक विद्यमान उप नियम	स्तम्भ - दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
प्रोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया	8(1) सेवा में अधिशासी अभियंता सिविल/विद्युत और यांत्रिक और अधीक्षण अभियंता, सिविल/विद्युत और यांत्रिक के पदों पर प्रोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक प्रोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्डों के आधार पर एक चयन समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे, के माध्यम से की जायेगी:- (एक) सरकार के लोक निर्माण विभाग का प्रमुख सचिव, (दो) सरकार के कार्मिक विभाग का प्रमुख सचिव या सचिव,	8(1) सेवा में अधिशासी अभियंता, सिविल, विद्युत और यांत्रिक तथा अधीक्षण अभियंता, सिविल विद्युत और यांत्रिक के पदों पर प्रोन्नति द्वारा भर्ती, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक प्रोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्डों के आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट होंगे:- (एक) सरकार के लोक निर्माण विभाग का अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव - अध्यक्ष। (दो) सरकार के कार्मिक विभाग का संयुक्त सचिव से अनिम्न श्रेणी का अधिकारी - सदस्य।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(तीन) प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग

(चार) प्रमुख अभियंता (सिविल), सिंचाई विभाग, सिविल शाखा के पद के लिये और प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई विभाग, विद्युत और यांत्रिक शाखा के पद के लिये।

ज्येष्ठ प्रमुख सचिव चयन समिति का अध्यक्ष होगा।

टिप्पणी- चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गों के अधिकारियों को प्रतिनिधित्व देने के लिये नाम निर्देशन समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा-7 के अधीन किये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

(2) सेवा में मुख्य अभियंता स्तर-दो (सिविल)/(विद्युत और यांत्रिक) मुख्य अभियंता स्तर-एक (सिविल) और प्रमुख अभियन्ता के पदों पर प्रोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्डों के आधार पर समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिये नियमावली,

(तीन) प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग - सदस्य।

(चार) प्रमुख अभियंता (सिविल), सिंचाई विभाग, सिविल शाखा के पद के लिये और प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई विभाग, विद्युत और यांत्रिक शाखा के पद के लिये - सदस्य।

टिप्पणी- चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिये अधिकारियों का नाम- निर्देशन समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा-7 के अधीन किये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

(2) सेवा में मुख्य अभियंता, स्तर-दो (सिविल)/(विद्युत और यांत्रिक), मुख्य अभियंता स्तर-एक (सिविल)/(विद्युत और यांत्रिक) और प्रमुख अभियन्ता के पदों पर प्रोन्नति द्वारा भर्ती, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिये नियमावली, 1992 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1992 के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।	(पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 1994 में निर्धारित मानदण्ड के आधार पर की जायेगी।
टिप्पणी- चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गों के अधिकारियों को प्रतिनिधित्व देने के लिये नाम निर्देशन समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा-7 के अधीन किये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा।	**टिप्पणी-** चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिये अधिकारियों का नाम- निर्देशन, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा-7 के अधीन किये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा।
(3) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियों समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र-पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायं, चयन समिति के समक्ष रखेगा।	(3) नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र-पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायं, चयन समिति के समक्ष रखेगा।
(4) चयन समिति उप-नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझें तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।	(4) चयन समिति उप-नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझें तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में, जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी हो एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।	(5) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में, जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी हो, में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

नियम-13 का संशोधन (5)- उक्त नियमावली में, नियम-13 में, नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान उप नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

	स्तम्भ-एक		**स्तम्भ-दो**	
	विद्यमान उप नियम		**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम**	
	पद का नाम	**वेतनमान**	**पद का नाम**	**वेतनमान/वेतन मैट्रिक्स पे लेवल**
वेतनमान	(2)(एक) अधिशासी अभियंता	10,000-325-15,200 रूपये	(2)(एक) अधिशासी अभियंता	लेवल-11, रू0 67,700-2,08,700
	(दो) अधीक्षण अभियंता	12,000-375-16,500 रूपये	(दो) अधीक्षण अभियंता	लेवल-13, रू0 1,23,100-2,15,900
	(तीन) मुख्य अभियंता स्तर-दो	16,400-450-20,000 रूपये	(तीन) मुख्य अभियंता स्तर-दो	लेवल-13क, रू0 1,31,100-2,16,600
	(चार) मुख्य अभियंता स्तर-एक	18,400-500-22,400 रूपये	(चार) मुख्य अभियंता स्तर-एक	लेवल-14, रू0 1,44,200-2,18,200
	(पांच) प्रमुख अभियंता	22,400-525-24,500 रूपये	(पांच) प्रमुख अभियंता	लेवल-15, रू0 1,82,200-2,24,100

आज्ञा से,
अजय चौहान,
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. 1424/23-3-2025-25(ES)/2021-1615211 dated: 17 November, 2025

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT SECTION-3

NOTIFICATION
Miscellaneous

No. 1424/23-3-2025-25(ES)/2021-1615211
Dated: 17 November, 2025 Lucknow.

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Service of Engineers (Public Works Department) (Higher) Rules, 1990:

THE UTTAR PRADESH SERVICE OF ENGINEERS (PUBLIC WORKS DEPARTMENT) (HIGHER) (THIRD AMENDMENT) RULES, 2025

Short title and Commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Service of Engineers (Public Works Department) (Higher) (Third Amendment) Rules, 2025

(2) They shall come into force at once.

Substitution of rule- 4

2. In the Uttar Pradesh Service of Engineers (Public Works Department) (Higher) Rules, 1990 hereinafter referred as the said rules, in rule-4 for existing sub-rule (2) set out in column-I below, the sub-rule as set out in column-II shall be substituted, namely:-

Cadre of Service	Column I Existing Rule	Column II Rule as hereby substituted
	(2) The strength of the service and of each category of posts therein shall until the orders varying the same are passed under sub-rule (1) be as given below :	(2) The strength of the service and of each category of posts therein shall until the orders varying the same are passed under sub-rule (1) be as given below:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

Name of post	Permanent	Temporary	Reserve of deputation	Name of post	Permanent	Temporary	Deputation Reserve
(i) Executive Engineer (Civil)	222	104	40	(i) Executive Engineer (Civil)	222	104	40
(ii) Executive Engineer (Electrical and Mechanical)	21	06	01	(ii) Executive Engineer (Electrical and Mechanical)	21	06	01
(iii)Superintending Engineer (Civil)	49	22	14	(iii)Superintending Engineer (Civil)	49	22	14
(iv)Superintending Engineer (Electrical and Mechanical)	04	-	-	**(iv)Superintending Engineer (Electrical and Mechanical)**	**04**	**04**	**02**
(v) Chief Engineer Level-II (Civil)	07	15	07	(v) Chief Engineer Level-II (Civil)	07	21	07
(vi) Chief Engineer Level-II (Electrical and Mechanical)	-	01	-	**(vi) Chief Engineer Level-II (Electrical and Mechanical)**	**-**	**03**	**02**
(vii) Chief Engineer Level-I (Civil)	-	03	-	(vii) Chief Engineer Level-I (Civil)	-	03	-
(viii) Engineer-in-Chief	01	02	-	**(viii) Chief Engineer Level-I (Electrical and Mechanical)**	**-**	**01**	**-**
				(ix) Engineer-in-Chief	01	02	-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Provided that - (a) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; (b) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.	Provided that - (a) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; (b) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

Amendment of rule 5

3. In the said rules, in rule-5 for existing sub-rule (iv) set out in column-I below, the rule as set out in column-II shall be substituted, namely:-

	Column I **Existing Rule**	**Column II** **Rule as hereby substituted**
Source of Recruit-ment	(iv) Chief Engineer Level-I (Civil)-By promotion from amongst the substantively appointed Chief Engineer Level-II (Civil);	(iv) (a) Chief Engineer, Level-I (Civil)-By promotion from amongst the substantively appointed Chief Engineer, Level-II (Civil); **(b) Chief Engineer, Level-I (Electrical and Mechanical)-By promotion from amongst the substantively appointed Chief Engineer, Level-II (Electrical and Mechanical);**

Amendment of rule 8

4. In the said rules, in rule-8 for existing sub-rule (1) and (2) set out in column-1 below, the sub-rules as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

	Column I **Existing Rule**	**Column II** **Rule as hereby substituted**
Procedure for recruitment by promotion	(1) Recruitment by promotion to the posts of Executive Engineer, Civil, Electrical and Mechanical and Superintending Engineer, Civil, Electrical and Mechanical in the Service shall be made on the basis of	(1) Recruitment by promotion to the posts of Executive Engineer, Civil, Electrical and Mechanical and Superintending Engineer, Civil, Electrical and Mechanical in the Service shall be made on the basis of the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants criterion for Recruitment by promotion Rules, 1994, as amended from time to time, through a Selection Committee comprising:	criterion for Recruitment by promotion Rules, 1994, as amended from time to time, through a Selection Committee comprising:
(i) Principal Secretary to the Government in Public Works Department;	(i) Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary to the Government in Public Works Department - Chairman
(ii) Principal Secretary or Secretary to the Government in Personnel Department;	(ii) An Officer not below the rank of Joint Secretary to the Government in Personnel Department - Member
(iii) Engineer-in-Chief, Public Works Department;	(iii) Engineer-in-Chief, Public Works Department - Member
(iv) Engineer-in-Chief (Civil), Irrigation Department for the post of Civil Branch and Engineer-in-Chief (Mechanical), Irrigation Department for the post of Electrical and Mechanical Branch.	(iv) Engineer-in-Chief (Civil), Irrigation Department for the post of Civil Branch and Engineer-in-Chief (Mechanical), Irrigation Department for the post of Electrical and Mechanical Branch - Member
The Senior Principal Secretary shall be the Chairman of the Selection Committee.	
NOTE- Nomination of Officers for giving representation to the Scheduled Castes, Schedules Tribes and Other Backward Classes of citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with order made under section 7 of the Uttar	NOTE- Nomination of Officers for giving representation to the Scheduled Castes, Schedules Tribes and Other Backward Classes of citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with order made under section-7 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994, as amended from time to time.	Backward Classes) Act, 1994, as amended from time to time.
(2) Recruitment by promotion to the post of Chief Engineer Level-II (Civil)/(Electrical and Mechanical), Chief Engineer Level-I (Civil) and Engineer-in-Chief in the service shall be made on the basis of the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, as amended from time to time, through the Selection Committee constituted in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee for posts outside the purview of the Service Commission Rules, 1992, as amended from time to time.	(2) Recruitment by promotion to the post of Chief Engineer, Level-II (Civil)/(Electrical and Mechanical), Chief Engineer, Level-I (Civil)/(Electrical and Mechanical) and Engineer-in-Chief in the service shall be made on the basis of the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, as amended from time to time, through the Selection Committee constituted in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee for posts outside the purview of the Service Commission Rules, 1992, as amended from time to time.
NOTE- Nomination of officers for giving representation to the Schedules Castes, Schedules Tribes and Other Backward Classes of citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with the order made under section-7 of the	NOTE- Nomination of officers for giving representation to the Schedules Castes, Schedules Tribes and Other Backward Classes of citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with the order made under section-7 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Schedules Castes, Scheduled Tribes and Other

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Schedules Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994, as amended from time to time.	Backward Classes) Act, 1994, as amended from time to time.
(3) The appointing authority shall prepare eligibility lists of the Candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986, as amended from time to time, and place the same before the Selection Committee along with their character rolls and such other records, pertaining to them, as may be considered proper.	(3) The appointing authority shall prepare eligibility lists of the Candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986, as amended from time to time, and place the same before the Selection Committee along with their character rolls and such other records, pertaining to them, as may be considered proper.
(4) The Selection Committee shall consider the cases of Candidates on the basis of records, referred to in sub-rule (2), and if it considers necessary, it may interview the candidates also.	(4) The Selection Committee shall consider the cases of Candidates on the basis of records, referred to in sub-rule (2), and if it considers necessary, it may interview the candidates also.
(5) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted and	(5) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted and forward the same to the appointing authority.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

forward the same to the appointing authority.

Amendment of rule 13

5. In the said rules, in rule-13 for existing sub-rule (2) set out in column-I below, the sub-rule as set out in column-II shall be substituted, namely:-

Column I Existing Rule			Column II Rule as hereby substituted	
Scale of pay	**Name of post**	**Scale of pay**	**Name of post**	**Scale of pay/Level in Pay Matrix**
	(2)(i) Executive Engineer	Rs.10,000-325-15,200	(2)(i) Executive Engineer	Level-11, Rs. 67,700-2,08,700
	(ii) Superintending Engineer	Rs.12,000-375-16,500	(ii) Superintending Engineer	Level-13, Rs. 1,23,100-2,15,900
	(iii)Chief Engineer Level-II	Rs.16,400-450-20,000	(iii)Chief Engineer Level-II	Level-13Ka, Rs. 1,31,100-2,16,600
	(iv) Chief Engineer Level-I	Rs.18,400-500-22,400	(iv)Chief Engineer Level-I	Level-14, Rs. 1,44,200-2,18,200
	(v) Engineer-in- Chief	Rs.22,400-525-24,500	(v) Engineer-in- Chief	Level-15, Rs. 1,82,200-2,24,100

By order,
Ajay Chauhan,
Principal Secretary

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।